(34)

महत्वपूर्ण

संख्या : /XVII.2/14-01(18)/2014

प्रेषक,

एस०राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण : अनुभाग-2, देहरादून, दिनांक: 08 अगस्त 2014

विषय : उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 922/ XVII-2/14-01(18)/2014 दिनांक 04 अगस्त 2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसान पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कृषि कार्यों से सम्बन्धित पर्यवेक्षण के लिए कृषि विभाग के सम्बन्धित न्याय पंचायत सहायक, उद्यान विभाग के उद्यान निरीक्षक तथा गन्ना विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र के सम्बन्धित लेखपाल से इस पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले किसानों के सम्बन्ध में उनकी कृषि भूमि के अभिलेखों का सत्यापन कराते हुए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। खण्ड विकास अधिकारी लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना का लाभ दिए जाने हेतु उक्त अभिलेखों को सत्यापित करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में उक्त प्रक्रिया उर्पयुक्तानुसार पूर्ण करते हुए सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित करते हुए आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

2. उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों हेतु किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

3. कृपया उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस०राजू)
अपर मुख्य सचिव

संलग्नक : उर्पयुक्त।

संख्या :1058(1)/XVII.2/14-01(18)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।

.........2

2. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कृषि / उद्यान / गन्ना विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव,मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, समाज कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव कृषि / उद्यान / गन्ना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(कविन्द्र सिंह)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग 2
संख्या–1056/XVII–2/14–01(18)/2014
देहरादून : दिनांक 06 अगस्त, 2014

शुद्धि–पत्र

शासनादेश संख्याः 922/XVII–2/14–01(18)/2014 दिनांक 04 अगस्त, 2014 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में "किसान पेंशन योजना" लागू की गयी है। इस शासनादेश के बिन्दु–2 में किसान पेशन योजना के पात्र लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से पेंशन अथवा अनुदान देय नहीं होगा" अंकित है, के स्थान पर बिन्दु संख्याः 2 निम्नवत् पढ़ा जायः–

"किसान पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से पेंशन देय नहीं होगी।"

2– उक्त शासनादेश दिनांक 04 अगस्त, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(एस0 रवि)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1056(1)/XVII–2/14–01(18)/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी एवं कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग/ निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड,
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–1/समाज कल्याण अनुभाग–1/4, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कवीन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या 922 /XVII-2/14-01(18)/2014

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 04 अगस्त, 2014

विषय :- उत्तराखण्ड "किसान पेंशन योजना" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसानों, जो स्वयं की भूमि में खेती करते हों, को "किसान पेंशन योजना" का लाभ निम्नलिखित मानक/शर्तों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना की भांति ₹ 800/- (रूपये आठ सौ मात्र) प्रतिमाह पेंशन अनुमन्य की जायेगी।
2. किसान पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से पेंशन अथवा अनुदान देय नहीं होगा।
3. किसान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे किसानों को अपनी भूमि के सम्बन्ध में ₹ 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. ऐसे किसान जो वर्तमान में स्वयं की भूमि में खेती कर रहे हों तथा जिस दिन से ऐसे किसानों द्वारा स्वयं की भूमि पर खेती करने का कार्य बन्द किया जायेगा, उसी दिन से इस योजना के अंतर्गत दी जा रही पेंशन की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. उक्त योजना दिनांक 15 अगस्त, 2014 से लागू होगी।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 687/XXVII(1)/2014 दिनांक 31 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

क्रमशः.................2

संख्या: (1)/XVII–2/14–01(8)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–1/समाज कल्याण अनुभाग–1/4, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
उप सचिव